

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

दिनांक 30.06.2021

प्रेस-विज्ञप्ति

1. ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आई0टी0 क्षेत्र के अन्तर्गत आई.टी./आई.टी.ई.एस. एवं डाटा सेन्टर हेतु 12 भूखण्डों की योजना को दिनांक 10.07.2021 तक विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।
2. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आई0टी0/आई0टी0ई0एस0/डाटा सेन्टर के आवंटन हेतु फास्ट ट्रैक/डायरेक्ट आवंटन प्रक्रिया तथा निवेश मित्रा के माध्यम से ऑनलाईन आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन द्वारा आवेदन कर आवंटन प्राप्त किये जाने विषयक।

अवगत कराना है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की दिशा में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आई0टी0 क्षेत्र के अन्तर्गत आई.टी./आई.टी.ई.एस/डाटा सेन्टर हेतु भूखण्ड आवंटन की प्रचलित योजना को दिनांक 10.07.2021 तक विस्तारित किया जा रहा है।

- आई.टी./आई.टी.ई.एस एवं डाटा सेन्टर हेतु भूखण्ड आवंटन की योजना का ब्रोशर, नियम व शर्त, भूखण्डों की सूची एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की बेबसाइट www.greaternoidaauthority.in एवं www.niveshmitra.up.nic.in पर दिनांक 10.07.2021 तक उपलब्ध है, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन किया जा सकता है।
- उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2021 तक www.niveshmitra.up.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है। दिनांक 10.07.2021 तक आई.टी./आई.टी.ई.एस. एवं डाटा सेन्टर भूखण्ड आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों पत्रों का निर्धारित परीक्षण एवं मूल्यांकन के उपरान्त जुलाई,2021 में आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटन किया जायेगा।
- ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आई0टी0/आई0टी0 ई0एस0/डाटा सेन्टर प्रयोगार्थ आवंटन हेतु चिन्हित सैक्टरों में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 एवं डाटा सेन्टर की ईकाइयों की स्थापना हेतु निम्नवत् 12 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है:-

| क्र.सं | भूखण्ड संख्या | सैक्टर | भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में | भूखण्ड का क्षेत्रफल एकड में |
|--------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 58 | इकाटेक-1, एक्स.-1 | 20109.40 | 4.96 |
| 2. | 59 | " | 21579.75 | 5.33 |
| 3. | 60 | " | 20354.00 | 5.02 |
| 4. | 61 | " | 20354.00 | 5.02 |
| 5. | 62 | " | 20328.60 | 5.02 |
| 6. | 73 | " | 20229.20 | 4.99 |
| 7. | 74 | " | 20229.20 | 4.99 |
| 8. | 83 & 84 | " | 40474.00 | 10.00 |
| 9. | 15 | नॉलेज पार्क-5 | 40430.71 | 9.99 |

| | | | | |
|-----|----|----------|-----------|-------|
| 10. | 47 | " | 24224.16 | 5.98 |
| 11. | 32 | " | 45458.26 | 11.23 |
| 12. | 12 | टेकजोन-2 | 113316.00 | 28.00 |

उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों/रिक्तियों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है।

उक्त योजना के अन्तर्गत आई0टी0/आई0टी0ई0एस0/डाटा सेन्टर के आवंटन हेतु दो निम्न विकल्पों के माध्यम से आवेदक आवेदन कर आवंटन प्राप्त कर सकते हैं-

1. फास्ट ट्रैक/डायरेक्ट आवंटन प्रक्रिया-

अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-06 उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1884/77-6-20-एल.सी.32/15टीसी-2 दिनांक-20.07.2020, शासनादेश संख्या:-2062/77-6-20-एल.सी.32/15टीसी-2, दिनांक-07.08.2020 एवं शासनादेश संख्या:-2800/77-6-20-एल.सी.32/15टीसी-2 दिनांक-29.09.2020 के अनुपालन के क्रम में जिन ईकाईयों का कुल निवेश रू0 200 करोड़ के ऊपर है अर्थात् उ0प्र0शासन के द्वारा घोषित औद्योगिक नीति-2017 के अन्तर्गत मेगा/मेगा प्लस/सुपर मेगा श्रेणी में है तो वे अपना निवेश हेतु प्रस्ताव तथा भूमि आवंटन हेतु अनुरोध अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, INVEST UP, 12-C, Mall Avenue, Lucknow-226001 (U.P.) (info@udyogbandhu.com) तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष सीधे कर सकते हैं।

उ0प्र0शासन/invest UP द्वारा उनके निवेश का प्रस्ताव का Comfort Letter प्राधिकरण में प्राप्त होने पर तथा उनके द्वारा भू-आवंटन हेतु आवेदन करने पर 15 दिवस के अन्दर रिक्त भूखण्डों में से भूखण्ड का आवंटन निर्धारित शर्तों के अनुपालन करने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे (Direct Allotment) योजना ब्रोशर में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन किया जाएगा। भूखण्ड पर रू0 7.00 करोड़ प्रति एकड़ निवेश करना अनिवार्य होगा।

2. निवेश मित्रा के माध्यम से आनलाईन आवंटन प्रक्रिया-

उक्त योजना के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु www.niveshmitra.up.nic.in एवं प्राधिकरण की वेबसाईट www.greaternoidaauthority.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निर्धारित शर्तों के अनुपालन करने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ब्रोशर में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन किया जाएगा। भूखण्ड पर रू0 7.00 करोड़ प्रति एकड़ निवेश करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त रिक्त भूखण्डों की सूचना ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाईट www.greaternoidaauthority.in तथा GIS प्लेटफार्म पर दर्शित है।

आज्ञा से,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी)